

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—806 / 2013

संस्थित दिनांक—10.09.2013

फाइलिंग क्र.234503002662013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

मोलसिंह पिता ओरीलाल टेम्भरे, उम्र—54 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी—ग्राम देवरी, थाना मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// निर्णय //

(आज दिनांक—04 / 01 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—26.07.2013 को सुबह करीब 7:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम चकरवाही मेन रोड चुलेडोंगरी पहाड़ी के पास लोकमार्ग पर सफेद रंग की टाटा इंडिका क्रमांक—सी.जी—09 / 1036 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत विष्णु मरकाम को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—26.07.2013 को सुबह 7:00 बजे ग्राम चकरवाही, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत फरियादी विष्णु ग्राम टिंगीपुर से पैदल मेन रोड आ रहा था, तो चुलेडोंगरी पहाड़ी के पास चार पहिया वाहन के चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसे पीछे से ठोस मार दिया, जिससे उसे चोट लग गई। उक्त वाहन के चालक के मौके से भागने के बाद फरियादी के द्वारा थाना मलाजखण्ड में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा अज्ञात चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक—103 / 2013, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। पुलिस द्वारा आहत विष्णु मरकाम की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त

रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा कर, आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-26.07.2013 को सुबह करीब 7:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम चकरवाही मेन रोड चुलेडोंगरी पहाड़ी के पास लोकमार्ग पर सफेद रंग की टाटा इंडिका क्रमांक-सी.जी-09/1036 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत विष्णु मरकाम को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत विष्णु मरकाम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी मोलसिंह को नहीं जानता। घटना पिछले साल बरसात के समय की है। घटना दिनांक को वह ग्राम टिंगीपुर से चकरवाही की ओर पैदल आ रहा था, तभी रोड पर पीछे से एक चार पहिया वाहन आया और उसे ठोस मार दिया। घटना के समय वह अपने साईड से आ रहा था और ठोस लगने से वह गिरकर बेहोश हो गया था। उक्त दुर्घटना में उसका बाया हाथ टूट गया था। घटना के समय वाहन कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में और फिर मलाजखण्ड में हुआ था। उक्त दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दुर्घटना कारित वाहन कौन चला रहा था, वह नहीं जानता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन चालक गाड़ी को सावधानीपूर्वक हार्न बजाते हुए अपनी साईड से चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में दुर्घटना कारित वाहन के चालक की गलती से

दुर्घटना होना बताया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में वाहन के चालक द्वारा गाड़ी सावधानीपूर्वक अपनी साईड से चलाना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार साक्षी अपने मुख्यपरीक्षण में किये गए कथन पर स्थिर नहीं रहा है। साक्षी के कथन से उसे वाहन दुर्घटना के कारण उसके बाएं हाथ में अस्थिभंग होना प्रकट होता है, किन्तु उक्त दुर्घटना आरोपी के द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाए जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। साक्षी ने आरोपी की दुर्घटना कारित वाहन चालक के रूप में पहचान भी नहीं की है।

7— मंगलसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी एवं आहत दोनों को पहचानता है। घटना दिनांक को सुबह 8-8:15 बजे आरोपी मोलसिंह अपने चार पहिया वाहन में आहत विष्णुसिंह को गाड़ी में लेटाकर उसके घर के सामने लाया और उससे आहत विष्णु मरकाम के घर का पता पूछा, उस समय वाहन को आरोपी मोलसिंह चला रहा था। बाद में उसने आहत विष्णु मरकाम से दुर्घटना के संबंध में पूछा तो आहत विष्णु ने उसे बताया कि जिस गाड़ी से उसे उठाकर लाये थे, उसी वाहन के चालक ने उसे टक्कर मारी है। उक्त दुर्घटना आरोपी मोलसिंह की गलती से होना आहत विष्णु ने उसे बताया था। आहत विष्णु ने उसे दुर्घटना स्थल चकरवाही के पास होना बताया था। वाहन में जब आहत विष्णु बैठा हुआ था, तब दर्द के कारण करहा रहा था और उसका हाथ टूटा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी तथा वह घटनास्थल पर नहीं था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने सुनी-सुनाई बात के आधार पर घटना की जानकारी दी है तथा अनुश्रुत साक्षी के रूप में साक्षी ने कथन किये हैं, जिसका अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

9— सौरभ केराम (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। आहत विष्णु मरकाम को जानता है। घटना लगभग ढाई वर्ष पूर्व सुबह लगभग 7:30 बजे की है। उक्त दिनांक को आरोपी मोलसिंह, आहत विष्णु मरकाम को ग्राम सुहाना नगर में उसके घर पर फोर विलर वाहन इंडिका से छोड़ने आया था। आरोपी मोलसिंह ने उसे बताया था कि विष्णु मरकाम रोड पर गिरा था, तो वह उसे उठाकर लाया और छोड़कर चला गया था। विष्णु मरकाम को होश आने पर

उसने बताया कि आरोपी मोलसिंह ने ही उसके साथ दुर्घटना कारित की है और उसे वाहन में बैठाकर घर पर लेकर आया। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी तथा वह घटनास्थल पर नहीं था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने सुनी-सुनाई बात के आधार पर घटना की जानकारी दी है तथा अनुश्रुत साक्षी के रूप में साक्षी ने कथन किये हैं, जिसका अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

11— आहत विष्णु मरकाम का प्राथमिक चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के दिन आहत विष्णु मरकाम का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसे बाएं हाथ पर अस्थिभंग के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसकी एक्सरे करने की सलाह दी गई थी। उसके द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— डॉ. रंजित कुमार बाला (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-12.08.13 को ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती आहत विष्णु उम्र-32 वर्ष बाएं हाथ के एक्सरे हेतु उसके पास आया था, जिसे उसने एक्सरे कराने के लिए सलाह दी थी। उक्त दिनांक को ही उक्त अस्पताल के टेक्निशियन के द्वारा विष्णु का एक्सरे लिया गया था। दिनांक-13.08.13 को आहत विष्णु एक्सरे प्लेट लेकर उसके समक्ष उपस्थित हुआ था, जो एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 है। उक्त एक्सरे प्लेट के परीक्षण पर उसने बांये हाथ की कलाई के पास की दोनों हड्डी टूटी होना पाया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत ने चोट आने की दिनांक-26.07.13 बताया था। उसके द्वारा आहत को अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह दी गई थी।

13— उक्त चिकित्सीय साक्षीगण के कथन का महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षीगण ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत विष्णु मरकाम को घटना के समय उसके बाएं हाथ में अस्थिभंग होने से उसे घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

14— कृष्ण कुमार बघेल (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि

वह दिनांक-14.08.2013 को थाना बैहर में चालक प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मलाजखण्ड के अपराध क्रमांक-103/13 के प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-सी.जी-09/1036 टाटा इंडिका विस्टा का परीक्षण उसके द्वारा मलाजखण्ड में जाकर किया गया था। परीक्षण पर उसने उक्त वाहन को चलाकर देखा था, जिसके ब्रेक, क्लिज, एक्सीलेटर का ठीक होना पाया था। वाहन के सामने तरफ चालक साईड में पैनल में हल्की खरोंच एवं दबा हुआ था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15- अनुसंधानकर्ता अधिकारी मुकेश रंगारी (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.07.2013 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक-26.07.13 को शासकीय अस्पताल बैहर की तहरीर जांच उपरान्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-103/13, धारा-279, 337 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-31.07.13 को विष्णु की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं विष्णु का निशानी अंगूठा लिया था। उक्त दिनांक को ही आहत विष्णु दिनांक-08.08.13 को साक्षी मंगलसिंह, सौरभ, कमल एवं दिनांक-10.08.13 को किस्टोपर के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-09.08.13 को मोलसिंह को धारा-133 मोटरयान अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया था एवं पूछा गया था कि घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-सी.जी-09-1036 को घटना दिनांक को कौन चला रहा था बाबत जानकारी प्राप्त की गई थी। उक्त नोटिस के जवाब में मोलसिंह ने उक्त वाहन को दिनांक-26.07.13 को स्वयं द्वारा चालन किया जाना बताया था, जिसका जवाब उसने अपनी हस्तलिपि में लेख कर दिया था। दिनांक-11.08.13 को आरोपी मोलसिंह टेम्भरे ने साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार वाहन क्रमांक-सी.जी-09-1036 चाबी सहित एवं ड्राइवर साईड पर खरोंच लगी अवस्था में मय दस्तावेज के जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया है। अंतिम प्रतिवेदन तैयार करते समय आहत को फ्रेव्हर होने से धारा-338 भा.द.वि. बढ़ाई गई थी। साक्षी के

प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

16— प्रकरण में स्वयं आहत विष्णु मरकाम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन चालक के रूप में नहीं की है तथा दुर्घटना कारित वाहन के चालक के द्वारा वाहन को सावधानीपूर्वक चलाया जाना स्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से जिन अन्य साक्षीगण को पेश किया गया है, उन्होंने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे व उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। उक्त साक्षीगण के कथन से यह भी प्रकट होता है कि उन्होंने मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना के बारे में बताया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने आरोपी की दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में पहचान नहीं की है और न ही आरोपी को किसी ने वाहन चलाते हुए देखा है। इस प्रकार मामलों में घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जाना ही प्रमाणित नहीं होता है।

17— मामलों में अनुसंधानकर्ता अधिकारी व चिकित्सीय साक्षीगण की समर्थनकारी साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है, जबकि स्वयं आहत व अन्य साक्षीगण के कथन से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था। इस प्रकार मात्र कथित वाहन की जप्ती की कार्यवाही के आधार पर आरोपी के द्वारा उक्त वाहन का घटना के समय चालन किया जाना नहीं माना जा सकता और न ही यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी के द्वारा कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से लोकमार्ग पर चलाया जा रहा था या इस कारण आहत विष्णु मरकाम को घोर उपहति कारित हुई।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक-26.07.2013 को सुबह करीब 7:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम चकरवाही मेन रोड चुलेडोंगरी पहाड़ी के पास लोकमार्ग पर सफेद रंग की टाटा इंडिका क्रमांक-सी.जी-09/1036 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत विष्णु मरकाम को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर

उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन टाटा इंडिका क्रमांक-सी. जी-09/1036 मय दस्तावेज सुपुर्ददार मोलसिंह टेम्भरे पिता ओरीलाल टेम्भरे, निवासी-ग्राम देवरी, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.) को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट